प्रशासन/राजनीति

लद्दाख और लक्षद्वीप राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी नेटवर्क में शामिल हुए

नई दिल्ली, भाषा। राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी योजना 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' में लद्दाख और लक्षद्वीप के शामिल होने के बाद इस योजना से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या को 26 हो गयी है। खाद्य मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी गई है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) उसी राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं।

राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी नेटवर्क के साथ लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को हाल ही में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में मंजूरी दी गई थी। शेष राज्यों को मार्च 2021 तक योजना में एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

बयान में कहा गया है, ''दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों (लद्दाख और लक्षद्वीप) ने अन्य राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन का परीक्षण और जांच का काम पूरा कर लिया है।'' इसके साथ ही, कुल 26 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश अब 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना के तहत निर्विध्न रूप से एक-दूसरे से जुड़ गए हैं और इससे लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

इसमें कहा गया है कि अब, इन राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में राशन कार्ड धारक एक सितंबर से प्रभावी होने वाली इस योजना के तहत अपनी पसंद के किसी भी राशन की दुकान से रियायती दर पर अपने हिस्से का खाद्यान्न कोटा को प्राप्त कर सकते हैं।

एनएफएसए के तहत 81 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक हैं और प्रत्येक लाभार्थी पांच किलोग्राम खाद्यान्न के लिए प्रति माह एक-तीन रुपये की रियायती दर का भुगतान कर राशन पाने के हकदार हैं।

राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी नेटवर्क में आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल हैं।

भाजपा-फेसबुक 'सांठगांठ' की तत्काल जांच हो: कांग्रेस

कांग्रेस ने कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहों की खबरों का हवाला देते हुए मंगलवार को फेसबुक एवं भाजपा के बीच 'सांठगांठ' होने का आरोप फिर लगाया और दावा किया कि भारत के लोकतंत्र एवं सामाजिक सद्भाव पर किया गया 'हमला' बेनकाब हुआ है।

नई दिल्ली ■ भाषा

कांग्रेस ने कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहों की खबरों का हवाला देते हुए मंगलवार को फेसबुक एवं भाजपा के बीच 'सांठगांठ' होने का आरोप फिर लगाया और दावा किया कि भारत के लोकतंत्र एवं सामाजिक सद्भाव पर किया गया 'हमला' बेनकाब हुआ है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रकरण की तत्काल जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर लोगों को दंडित किया जाना चाहिए।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार 'वाल स्ट्रीट जर्नल' की हालिया खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया, ''अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक एवं व्हाट्सऐप के खुलेआम हमले को बेनकाब कर दिया है।''

कांग्रेस नेता ने कहा, ''किसी भी विदेशी कंपनी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनकी तत्काल जांच होनी चाहिए और अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।''

उल्लेखनीय है कि व्हाट्सऐप का स्वामित्व फेसबुक के पास है। कांग्रेस ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि फेसबुक और भाजपा की कथित सांठगांठ ने लोकतंत्र को चोट पहुंची है।

उसने दावा किया, ''भाजपा का मकसद 'फूट डालो, शासन करो' है और फेसबुक इसमें उसकी मदद कर रहा है। भाजपा और फेसबुक की इस सांठगांठ की जांच होनी चाहिए।

हाल ही में 'वाल स्ट्रीट जर्नल' अखबार और 'टाइम पत्रिका' ने कुछ खबरें प्रकाशित की थीं जिनमें दावा किया गया था कि फेसबुक की भारतीय इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने भाजपा को फायदा पहुंचाया।

कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार को कहा कि किसी सोशल मीडिया कंपनी ने नहीं, बल्कि भारत के लोगों और कांग्रेस ने राहुल गांधी को खारिज किया है।

बाबरी विध्वंस : सुनवाई पूरी, अब फैसला लिखेंगे न्यायाधीश

लखनऊ ■ भाषा

बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत में सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली। मामले की सुनवाई की रहे न्यायाधीश बुधवार, दो सितंबर से अपना फैसला लिखना शुरू करेंगे।

इससे पहले वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, आईबी सिंह और महिपाल अहलूवालिया ने आरोपियों की तरफ से मौखिक दलीलें पेश की, इसके बाद सीबीआई के वकीलों ललित सिंह, आर.के. यादव और पी. चक्रवर्ती ने भी मौखिक दलीलें दीं।

दोनों पक्षों की दलीलें पेश होने के बाद विशेष न्यायधीश एस.के. यादव ने कहा कि वह बुधवार से फैसला लिखवाना आरंभ करेंगे।

दशकों पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज,साध्वी रितंभरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं।

अभियोजन पक्ष सीबीआई आरोपियों के खिलाफ 351 गवाहों और लगभग 600 दस्तावेज प्रस्तुत कर चुकी है। न्यायधीश को इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समयानुसार इस माह के अंत तक फैसला सुनाना है।

गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने दिसंबर 1992 में ढहाया था। उनका दावा था कि अयोध्या में यह मस्जिद भगवान राम के एतिहासिक राम मंदिर के स्थान पर बनायी गयी थी।

मुखर्जी को पीढ़ियां याद रखेंगी : मोदी

नई दिल्ली ■ भाषा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई देते हुए मंगलवार को कहा कि देश के विकास की दिशा में किए गए उनके प्रयासों के लिए उन्हें पीढ़ियां याद रखेंगी।

''भारत रत्न'' मुखर्जी को उनके सरकारी निवास 10, राजाजी मार्ग जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मोदी ने ट्वीट किया, ''श्री प्रणब मुखर्जी को मैंने श्रद्धासुमन अर्पित किए। देश के विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए उन्हें पीढ़ियां याद रखेंगी''

मुखर्जी का सोमवार की शाम सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। उन्हें गत 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी, पी वी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे प्रधान मंत्रियों के साथ काम किया। पश्चिम बंगाल में जन्में इस राजनीतिज्ञ को चलता फिरता 'इनसाइक्लोपीडिया' कहा जाता था और हर कोई उनकी याददाश्त क्षमता, तीक्ष्ण बुद्धि और मुद्दों की गहरी समझ का मुरीद था।

और स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना

नई दिल्ली, भाषा। रेलवे अधिक मांग वाले क्षेत्रों में यात्रियों का आवागमन सुगम करने के लिए और अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है जिसके लिए राज्य सरकारों से सहमति मांगी जा रही है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने हालांकि, यह नहीं बताया कि वर्तमान में चल रहीं 230 स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त ऐसी कितनी और ट्रेन चलाई जाएंगी। नयी स्पेशल ट्रेन चलाने संबंधी घोषणा आगामी कुछ दिन में की जाएगी।

वर्तमान में कोविड-19 की वजह से सभी नियमित यात्री सेवाएं निलंबित हैं। रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, ''और अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।''

डॉ. कफील खान की रासुका के तहत हिरासत रद्द

तत्काल रिहाई का आदेश।

प्रयागराज ■ भाषा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉक्टर कफील खान की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत मंगलवार को रद्द कर दी और उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किए जाने का आदेश पारित किया।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन की याचिका पर यह आदेश पारित किया। नुजहत परवीन ने डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर कफील को फरवरी में एक सक्षम अदालत द्वारा जमानत दे दी गई और उन्हें रिहा किया जाना था। हालांकि उन्हें चार दिन तक रिहा नहीं किया गया और बाद में उन पर रासुका लगा दिया गया। इसलिए उनकी हिरासत अवैध थी। हिरासत का आदेश रद्द करते हुए अदालत ने कहा, ''इस मामले में हमने पाया कि कारण संबंधी कड़ी गायब है या पूरी तरह से टूटी हुई है। वास्तव में हिरासत में लेने वाले अधिकारियों ने समर्थन वाले तथ्यों के बगैर ही आशंका जाहिर कर दी है जिसका कोई आधार नहीं है।''

अदालत ने कहा, ''हमने इस हिरासत की वैधता भी परखी है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के उपबंध (5) के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत के आधार और तथ्य उपलब्ध कराए गए जिससे वह जल्द से जल्द सक्षम अधिकारियों को इसकी प्रस्तुति दे सकें। जो सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई गई वह उनके उस भाषण को सीडी में डालकर दिया गया था जो उन्होंने 12 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिया था।'' पूछे जाने पर अदालत को बताया गया कि डॉक्टर खान को भाषण की नकल नहीं उपलब्ध कराई गई। यदि डॉक्टर खान को सीडी चलाने का उपकरण उपलब्ध कराया गया होता तो भाषण की नकल उपलब्ध नहीं कराए जाने का कोई असर नहीं होता।

प्रादेशिक : समाचार

अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन में नहीं है कोई दिक्कत

भाजपा ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी अन्नाद्रमुक के साथ भाजपा के गठजोड़ में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वह चाहते हैं कि मंत्री इस गठबंधन की आलोचना करना बंद करें।

कोयंबटूर ■ भाषा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष एल मुरुगन ने मंगलवार को कहा कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी अन्नाद्रमुक के साथ भाजपा के गठजोड़ में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वह चाहते हैं कि मंत्री इस गठबंधन की आलोचना करना बंद करें।

उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है तो भी चुनाव के बाद विधानसभा में कम से कम 60 विधायक भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगे।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा चुनाव की तैयारी में जुटी है और राज्य में उसकी ताकत बढ़ती जा रही है क्योंकि पार्टी को और मजबूत करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं तथा युवक उसका समर्थन करने लगे हैं। मुरुगन ने कहा, '' तमिलनाडु में (अन्नाद्रमुक के साथ) गठबंधन में कोई संशय या दिक्कत नहीं है। लेकिन मंत्रियों को इस गठबंधन को लेकर तरह तरह की बातें करना और आलोचना करना बंद करना चाहिए। उनका बयान इस बहस के बीच आया कि 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष वी पी दुरैस्वामी ने कहा था कि उनकी पार्टी को चुनाव में गठबंधन की अगुवाई करने का अधिकार है।

अन्नाद्रमुक के संयोजक और मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनकी पार्टी ही राज्य में किसी भी चुनाव में गठबंधन का नेतृत्व करेगी और कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव में राज्य में उनके नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ा गया था।

उप्र मे अब सप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार को

लखनऊ ■ आईएएनएस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार ने अब साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार को ही रखने का फैसला लिया है। साथ ही अनलॉक-4 में प्रदेश में बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोलने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-11 के साथ अनलॉक के साथ ही प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक की बंदी को समाप्त किया जा रहा है। राज्य में अब सिर्फ रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इसके अलावा हर रोज बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी शहर तथा गांव में बाजारों की साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित की जाए। शनिवार को भी दुकानें खुलेंगी। शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक पूरी तरह से बंदी रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने अब प्रतिदिन एक लाख 49 हजार कोविड टेस्ट होने पर संतोष जाहिर किया है। इसके साथ ही अब लैब बढ़ने पर टेस्ट को भी प्रतिदिन एक लाख 50 हजार करने का निर्देश दिया है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा

भारत से अलग जम्मू-कश्मीर का कोई भविष्य नहीं

नई दिल्ली ■ भाषा

नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक नयी पुस्तक में कहा कि वह 'न तो धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं के नजरिये वाला भारतीय बन सकते हैं' और 'न ही ऐसे लोगों के नजरिये वाला कश्मीरी बन सकते हैं, जो भारत के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर का कोई भविष्य नहीं देखते।' अब्दुल्ला ने एक पुस्तक 'इंडिया टुमॉरोः कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स' में कहा कि ऐसे में सबसे अच्छा यही है कि आप दूसरों के हिसाब से खुद को नहीं ढालें और आप जो हैं, वही बने रहें। इस पुस्तक का हाल में विमोचन हुआ है ।

पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद उमर अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया था।

अब्दुल्ला ने कहा कि 232 दिन की हिरासत ने उन्हें 'चिड़चिड़ा' और 'गुस्सैल' बना दिया था, फिर भी जम्मू-कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग मानने के उनके जांचे-परखे रुख में कोई बदलाव नहीं आया। अब्दुल्ला ने पुस्तक के लेखकों प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह के साथ एक साक्षात्कार में कहा, 'जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। मेरी हिरासत और पांच अगस्त के बाद के हालात ने भी मेरे ये विचार बदलने के लिये मजबूर नही कर पाये ।'' उन्होंने कहा, ''क्योंकि मैंने यह सोच सभी तरह की चीजों को जोड़ते हुए बनाई है। मुझे नहीं लगता कि भारत से अलग जम्मू-कश्मीर का कोई भविष्य हो सकता है। '

यह पुस्तक पाठकों को देश की अगली पीढ़ी के 20 सबसे प्रभावशाली नेताओं के साक्षात्कारों के जरिये भारत की समकालीन राजनीति की दिशा जानने का मौका देती है। अब्दुल्ला ने पुस्तक में कहा, 'मैंने यह हकीकत कबूल कर ली है कि मैं कभी धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं के नजरिये वाला भारतीय नहीं बन सकता हूं। लेकिन, तब मैं कभी ऐसे लोगों के नजरिये वाला कश्मीरी भी नहीं बन सकता हूं, जो भारत के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर का कोई भविष्य नहीं देखते। लिहाजा, सबसे अच्छा यही है कि आप दूसरों के हिसाब से खुद को नहीं ढालें और आप जो हैं, वही बने रहें।'

उन्होंने जोर देकर कहा कि 'भारत ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के साथ' जो किया उसे किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता।

मिजोरम में भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत

आइजोल, भाषा। आइजोल में मंगलवार को हुए भूस्खलन में 21 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई और सड़क एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने बताया कि आइजोल के बांगकान हमर वेंग क्षेत्र में शिलाखण्ड भराभरा कर नीचे आ गए जिनकी चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बांगकान पुलिस थाने के प्रभारी आर. वानलादुआता ने पीटीआई-भाषा को बताया कि घायल व्यक्ति को एक अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। इस भूस्खलन से बांगकान क्षेत्र को थुआमपुई क्षेत्र से जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा भ्री क्षतिग्रस्त हो गया।

चमोली के जिला कारागार से दो कैदी फरार

गोपेश्वर (उत्तराखंड), भाषा। उत्तराखंड में मंगलवार को चमोली जिला जेल से दो कैदी फरार हो गए जिससे जेल परिसर में अफरातफरी मच गयी। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग के पास पुरसाड़ी स्थित जिला कारागार से दोनों कैदी जेल के गेट का ताला तोडकर फरार हुए जिनमें से एक नवीन चंद्र आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। दूसरे फरार कैदी की पहचान दीपक राणा के रूप में हुई है। कैदियों के फरार होने से जेल परिसर में मची अफरातफरी के बीच चमोली पुलिस ने जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
अस्पताल चौराहा, रेल्वे स्टेशन रोड़, जालोर (राज.) पिन नं.-343001

क्रमांक: न.नि. / उद्यान / 2020-21 / 172 / 71 — दिनांक: 26/8/2020

निविदा सूचना

नगर निगम, अजमेर की ओर से अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा नगर निगम, अजमेर निम्न कार्य की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र नीचे अंकित दिनांक को 02:00 बजे तक विक्रय की जाकर उसी दिनांक को 03:00 बजे तक सीलबन्द टेण्डर बॉक्स में प्राप्त की जायेगी। जो उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष 04:00 बजे खोली जायेगी। निर्धारित अमानत राशि का आयुक्त, नगर निगम, अजमेर के नाम कार्यानुसार राशि की डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एवं निविदा शुल्क नकद जमा करवाकर कार्यालय से निविदा प्रपत्र कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण करने की अवधि	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा शुल्क	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा की दिनांक
1	विभिन्न उत्सव / पर्व / त्योहार व अन्य आयोजनों पर माला आपूर्ति कार्य हेतु	एक वर्ष	4000	500	2,00,000	04.09.2020

नोटः-
1. शेष शर्तों व जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नगर निगम अजमेर, कार्यालय उद्यान शाखा में देखी जा सकती हैं।
2. उक्त निविदा से संबंधित विवरण / शर्तों राज्य लोक उपापन पोर्टल **(http:sppp.raj.gov.in)** व नगर निगम अजमेर की वेबसाईट **(www.nagarnigam.org.in)** पर देखी जा सकती है।

NIB Code: ANN2021A0044
UBN Id: ANN2021SSOB00142

राज. संवाद / सी / 4005 / 2020-21

उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर

टायटन बायोटेक लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः ए-902ए, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III, भिवाड़ी, राजस्थान-301019
CIN : L74999RJ1992PLC013387
फोनः 011 27674615, वेबसाईटः www.titanbiotechltd.com
ई-मेलः cs@titanbiotechltd.com, hrd@titanbiotechltd.com

टायटन बायोटेक लिमिटेड की वीडियों कान्फ्रेन्स या अन्य आडियो-विजुअल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और बुक क्लोज़र के लिए 28वीं AGM की सुचना

सूचना यहाँ दी गई है कि:

1. कंपनी की **28वीं वार्षिक आम बैठक** ("28" AGM ") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (" OAVM ") सुविधा के माध्यम से शुक्रवार, **25 सितंबर, 2020 को दोपहर 2:30 बजे** कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में SEBI के अनुसार 28वें AGM की सूचना के अनुसार, साधारण और विशेष व्यवसाय को हस्तांतरित करने के लिए, SEBI (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सामान्य परिपत्र नंबर 14/2020, 17/2020 और 20/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 , 13 अप्रैल 2020 और 05 मई 2020, क्रमशः कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA परिपत्र/त्रो) और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI परिपत्र) द्वारा जारी किया गया, एक सामान स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।
2. MCA परिपत्र/और SEBI परिपत्र के संदर्भ में, 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण सहित वर्ष 2020 के लिए 28वीं AGM और वार्षिक रिपोर्ट का नोटिस, ("वार्षिक रिपोर्ट") उन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजा गया है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी भागीदार(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। 28वीं AGM और वार्षिक रिपोर्ट के नोटिस की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को MCA परिपत्र और SEBI परिपत्र के साथ भेज दिया गया है।
3. कंपनी ने अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के साथ एक समझौता किया है। दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम की तारीख पर ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एक सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा CDSL द्वारा प्रदान की जाएगी।
4. **18 सितंबर, 2020 की कट-ऑफ तारीख पर**, भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ("रिमोट ई-वोटिंग") अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण और विशेष व्यवसाय पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("CDSL") के वोटिंग सिस्टम के माध्यम से डाल सकते हैं जैसा कि 28वें AGM के नोटिस में दिया गया है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

(i) 28वें AGM के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के माध्यम से लेन-देन किया जाएगा;
(ii) रिमोट ई-वोटिंग **मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 को प्रातः 10:00 बजे** शुरू होगी; रिमोट ई-वोटिंग **गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 को शाम 5:00 बजे** समाप्त होगी ।
(iii) 28वीं AGM के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तारीख **18 सितंबर, 2020 है;**
(iv) कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ की तारीख यानी 18 सितंबर, 2020 तक शेयर धारक है और ईमेल और द्वारा 28वें AGM का नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, वह **beetalrta@gmail.com** अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति डीमैट फॉर्म में शेयर रखता है और **www.evotingindia.com** पर लॉग इन किया था और पहले किसी भी कंपनी के लिए वोटिंग किया था, तो मौजूदा पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया AGM नोटिस के अंत में नोट देखें;
(v) सदस्य जिस तरह से अपने लाभांश प्राप्त करने के लिए जनादेश दर्ज करना चाहते हैं, वह सूचना में विस्तृत है।
(vi) सदस्य नोट कर सकते हैं कि:
क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल CDSL द्वारा मतदान की तारीख और समय के बाद अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट डाले जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
ख) जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
ग) 28वें AGM में भाग लेने वाले सदस्यों और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, वे 28 वें AGM के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट देने के हकदार होंगे; तथा
घ) एक व्यक्ति जिसका नाम 28वें AGM में भाग लेने वाले सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख तक दर्ज किया गया है, 28वें AGM के दौरान VC/OVAM सुविधा और ई-वोटिंग के माध्यम से; रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
(vii) 28 वीं AGM और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट HYPERLINK **"http://www.titanbiotechltd.com"** और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है। 28 वें एजीएम की सूचना भी CDSLकी वेबसाइट HYPERLINK **"http://www.evotingindia.com" www.evotingindia.com** पर उपलब्ध है; तथा
(viii) किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") और ई-वोटिंग मैनुअल **www.evotingindia.com** पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध हैं, या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ईमेल लिख सकते हैं या **श्री नितिन कुंदर** (022-23058738) या **श्री महबूब लखानी** (022-23058543) या **श्री राकेश दलवी** (022-23058542) से संपर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वीं मंजिल, मैराथन फुटूरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग , लोअर परेल (पूर्व), मुंबई- 400013 से संबोधित किया जा सकता है या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें। सदस्य कंपनी के सचिव को कंपनी के ईमेल पते **cs@titanbiotechltd.com**, **hrd@titanbiotechltd.com** पर भी लिख सकते हैं।
(ix) वे सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे अपना ईमेल पता कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स ऑफ कंपनी, BEETAL Financial & Computer Services Private Limited पर फोलियो नंबर, शेयरहोल्डर का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी), आधार (सेल्फ अटेस्टेड स्कैन की हुई कॉपी, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित कॉपी) **hrd@titanbiotechltd.com / beetalrta@gmail.com** के साथ **beetalrta@gmail** पर पंजीकृत कर सकते हैं। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं।

5. **सदस्यों का रजिस्टर** और कंपनी की **शेयर ट्रांसफर किताबें शनिवार, 19 सितंबर, 2020 से शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक वार्षिक समापन और 2020 के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए बंद रहेंगी।
6. इक्विटी शेयरों पर लाभांश के लिए पात्र सदस्यों के नाम अगर एजीएम में सदस्यों द्वारा स्वीकृत है, का निर्धारण करने की **रिकॉर्ड तिथि, 18 सितंबर, 2020 है।**

टाइटन बायोटेक लिमिटेड के लिए
हस्ता / -
चरणजीत सिंह
(अनुपालन अधिकारी)

स्थान : दिल्ली
दिनांकः 24.08.2020